न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) – 24/18 तारीख रज्जू– 16/11/18

1– रामचरण पुत्र श्रीपाल जाति नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूगंर।
2– रामकेश पुत्र श्रीपाल जाति नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूगंर।
3– ओमप्रकाश पुत्र श्रीपाल जाति नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूगंर।

प्रार्थीगण

बनाम

1– चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति जरिए सहायक कलेक्टर प्रथम सवाई माधोपुर।
2– धनराज सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढ बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूगंर।
3– श्रीमति गोपाल बाई पत्नि धनराज सिंह निवासी बाढ बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूगंर।
4– तहसीलदार मलारना डूगंर।

अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19.7.19.

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्र्तगत अप्रार्थी संख्या 2 व 3 निवासी बाढ़ बिच्छीदोना को दिनांक 16/10/01 को ग्राम बाढ़ बिच्छीदोना में स्थित आराजी ख0नं0 16 रकबा 5 बीधा भूमि के किये गये अवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आवंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अप्रार्थी सं0 1 व 4 की और से पेरोकार सरकार उपस्थि एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 2 व 3 को जो आंवटन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किया गया वह आवंटन रूल्स के विपरित जाकर किया गया है। आवंटी द्वारा ख0नं0 के कॉलम संख्या 1 में कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है तथा प्रा0पत्र के मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर भी नहीं किये है। कॉलम संख्या 4 में ख0नं0 की कांट छांट कर खसरा नम्बर 16 दर्ज किया गया है एवं क्षेत्रफल में भी 4 बीघा के स्थान पर 5 बीघा किया गया है। उक्त आवंटन अप्रार्थीगण से साझ कर बिना उद्धोषणा जारी किए किया गया है। जबकि आवंटन रूल्स के मुताबिक आवंटन किये जाने से 15 दिवस पूर्व उद्धोषणा जारी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् उक्त आवटित भूमि पर काश्त नहीं की है। जबकि आवंटन रूल्स के अनुसार आवंटन के वर्ष में 50 प्रतिशत व द्वितीय वर्ष में संपूर्ण भूमि काश्त होना आवश्यक है। आवंटन के पश्चात् कब्जा रिपोर्ट में दिनांक 05.02.02 अंकित की है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन रूल्स की पालना नहीं की है तथा कब्जा रिपोर्ट पर भी जो गवाह बतोर गुलबा पुत्र रामावतार मीना की निशानी दर्शाई है वह फर्जी निशानी दशाई है।

अति. जिला कलेक्टर

अप्रार्थीगण द्वारा रेवेन्यू ऐजेन्सी से साझ कर उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करवा लिया है। उक्त आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 16 के हाल खसरा नं0 77 रकबा 36 ऐयर भू प्रबंध विभाग ने दर्ज किया है तथा आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है।

साबिक खं0न0 16 से बने हाल नम्बर 29 रकबा 44 ऐयर भूमि प्रार्थीगण के पिता के जीवन काल में तथा खं0नं0 80 रकबा 24 ऐयर को उनके द्वारा काश्त की गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् आंदिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि काश्त की जा रही है। उक्त वाद आराजीयात नियमन शुदा भूमि है जिसका पुनः आवंटन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व कर्मचारीयों की लापरवाही से राजस्व रिकोर्ड में मथुरालाल का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं किया गया है,साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 निवासी बाढ़ बिच्छीदोना को दिनांक 16/10/01 को ग्राम बाढ़ बिच्छीदोना में स्थित आराजी खं0नं0 16 रकबा 5 बीधा भूमि के किये गये आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त आवंटन कपट पूर्वक नहीं हुआ। आवंटी एक किसान है तथा किसान नियम कानून नहीं जानता है। फार्म विधिवत् रूप से भरा गया है। पटवारी द्वारा जांच की गई तथा पूर्ण कोरम में आवंटन किया है। उक्त वाद--आरजीयात प्रार्थी को नियमन की गई है तो इनका पट्टा व खातेदारी कहां है। खं0नं0 16 एक बड़ा रकबा है। यदि नियमन हुआ है तो वह और कहीं हो सकता है।प्रार्थी को खं0नं0 16 में ही आवंटन हुआ है। आवंटन के समय जो भूमि खाली थी। वही प्रार्थी को आवंटीत हुई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद आरजीयात पर अपना कब्जा होना बताया है जो मिथ्या है। यदि उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा था तो कोई राजस्व रिकोर्ड व खसरा गिरदावरी अथवा कब्जा बाबत् खसरा परिवर्तनशील गिरदावरी पेश करते यदि कब्जा भी मान लेते है तो खं0नं0 16 एक बड़ा रकबा है। गुलबा चरागाह भूमि पर अतिकमण करना चाहती है। इसलिए गुलबा ने फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इन्होने अप्रार्थीगण कब्जा होना बताया है। उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। दिनांक 10.04.2002 को नामान्तकरण खुला एवं 18.04.2002 को नामान्तकरण स्वीकार हुआ है। उस समय बन्दोबस्त चल रहा था। आमीन ने इन्द्राज नहीं किया । सेटलमेन्ट पूर्व होने के बाद नाम नहीं होने से जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। फिर तहसीलदार से जांच करवाई गई। जिसमें अप्रार्थी को आंवटन होना व काबिज होना पाया गया। इन्द्राज के बाद 2069 से 2072 एवं 2073 से 2076 की खसरा गिरदावरी में आवंटी का नाम है। आवंटन नियमानुसार एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं खातेदारी भी होने से आवंटन निरस्त नहीं फरमाया जा सकता है, साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 निवासी बाढ़ बिच्छीदोना को दिनांक 16/10/01 को ग्राम बाढ़ बिच्छीदोना में स्थित आराजी खं0नं0 16 रकबा 5 बीधा भूमि के किये गये अवंटन आदेश यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त आवंटन पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिस पर गिरदावर व तहसीलदार द्वारा भी अभिंशषा होने पर आवंटन अधिकारी सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) सवाई मधोपुर द्वारा पूर्ण कोरम जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति , सरंपच, प्रधान, सदस्य, तहसीलदार की अभिशंषा होने पर उक्त आवटन किया गया

प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त वाद –आरजीयात पर ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। उभय पक्ष ने दौराने बहस सहमति व्यक्त है कि आवंटीत खं0नं0 16 एक बड़ा रकबा है। जिससे स्पष्ट नहीं होता कि उक्त आवंटित भूमि पर ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है अथवा नहीं ? एवं प्रार्थीगण द्वारा कब्जा का कोई दस्तावेज, सबूत पेश नहीं करने के साथ ही आवंटन अधिकारी सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) सवाई मधोपुर द्वारा पूर्ण कोरम होने पर उक्त आवटन किया गया है। जो पूर्णत न्यायोचित एवं सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 निवासी बाढ़ बिच्छीदोना को दिनांक 16/10/01 को ग्राम बाढ़ बिच्छीदोना में स्थित आराजी खं0नं0 16 रकबा 5 बीधा का किया गया अवंटन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर